क्रम संख्या–12

पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2024-2026

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

देहरादून, बुधवार, 04 फरवरी, 2026 ई0

माघ 15, 1947 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

समाज कल्याण अनुभाग–01

संख्या 69/XVII-1/2025–2अ(09)2007

देहरादून, 04 फरवरी, 2026

अधिसूचना

विविध

राज्यपाल" भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उत्तराखण्ड जनजाति कल्याण राजपत्रित अधिकारी सेवा नियमावली, 2019 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, अर्थात्:–

उत्तराखण्ड जनजाति कल्याण राजपत्रित अधिकारी सेवा (संशोधन) नियमावली, 2025

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड जनजाति कल्याण राजपत्रित अधिकारी सेवा (संशोधन) नियमावली, 2025 है।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 5 का संशोधन

2. उत्तराखण्ड जनजाति कल्याण राजपत्रित अधिकारी सेवा नियमावली, 2019 (जिसे यहां आगे मूल नियमावली कहा गया है) के नियम 5 में,–
(i) स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान उपनियम (3) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा, अर्थात्–

स्तम्भ–1 विद्यमान उपनियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम
(3) उप निदेशक–	(3) उप निदेशक–
(क) 50 प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे परियोजना अधिकारी में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष की प्रथम दिवस को इस रूपमें 05 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।	(क) 50 प्रतिशत ऐसे परियोजना अधिकारी एवं समन्वयक तथा जिला जनजाति कल्याण अधिकारी में से (जो भी पहले नियुक्त हुआ हो), जिन्होंने भर्ती के वर्ष का प्रथम दिवस को इस रूप में 07 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए संयुक्त ज्येष्ठता के आधार पर चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।
(ख) 50 प्रतिशत प्रधानाचार्य (राजकीय आश्रम पद्वति विद्यालयों) में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष की प्रथम दिवस को इस रूप में 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।	(ख) 50 प्रतिशत ऐसे प्रधानाचार्य (राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों) में से जिन्होंने भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 07 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

(ii) विद्यमान उपनियम (6) के पश्चात् नये उपनियम (7) एवं (8) निम्नवत् अंतःस्थापित कर दिये जायेंगे, अर्थात्–

(7) समन्वयक–शत् प्रतिशत पद आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।

(8) जिला जनजाति कल्याण अधिकारी–

(क) 50 प्रतिशत पद आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा;

(ख) 25 प्रतिशत पद मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे अधीक्षक (राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय) में से जिन्होनें भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को 15 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण कर ली हो, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा;

(ग) 25 प्रतिशत पद मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे कार्यशाला अधीक्षक (राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान) में से जिन्होनें भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को 15 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण कर ली हो, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

नियम 8 का संशोधन

3. मूल नियमावली में स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 8 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
8. सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास विनिर्दिष्ट अर्हताएं हो।	8. सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित अर्हताएं हों।

पद	अर्हता	पद	अर्हता
प्रधानाचार्य	(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय से भिन्न किसी ऐसी संस्था जिसे विधि के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता दी गयी हो या घोषित किया गया हो, से स्नातकोत्तर उपाधि धारक। (2) बी.एड या एल.टी। (3) राजकीय हाईस्कूल या राजकीय सहायता प्राप्त हाईस्कूल या इण्टरमीडिएट विद्यालय में कम से कम 05 वर्ष का अध्यापन अनुभव।	प्रधानाचार्य	(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय से भिन्न किसी ऐसी संस्था जिसे विधि के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता दी गयी हो या घोषित किया गया हो, से स्नातकोत्तर उपाधि धारक। (2) बी.एड या एल.टी।
परियोजना अधिकारी	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय से भिन्न किसी ऐसी संस्था जिसे विधि के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता दी गयी हो या घोषित किया गया हो, से स्नातक की उपाधि धारक। अधिमानी अर्हताः— (1) मानव शास्त्र/समाजशास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि। (2) जनजाति कार्य का अनुभव।	परियोजना अधिकारी	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय से भिन्न किसी ऐसी संस्था जिसे विधि के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता दी गयी हो या घोषित किया गया हो, से स्नातक की उपाधि धारक। अधिमानी अर्हताः— (1) मानवशास्त्र/समाजशास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि।
		समन्वयक	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय से भिन्न किसी ऐसी संस्था जिसे विधि के अधीन विश्वविद्यालय के रूप मान्यता दी गयी हो या घोषित किया गया हो, से स्नातक की उपाधि धारक। अधिमानी अर्हताः— (1) मानवशास्त्र/समाजशास्त्र/समाज कार्य में स्नातकोत्तर उपाधि।
		जिला जनजाति कल्याण अधिकारी	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय से भिन्न किसी ऐसी संस्था जिसे विधि के अधीन विश्वविद्यालय के रूप मान्यता दी गयी हो या घोषित किया गया हो, से स्नातक की उपाधि धारक। अधिमानी अर्हता :— (1) मानवशास्त्र/ समाजशास्त्र/समाज कार्य में स्नातकोत्तर उपाधि।

नियम 15 का संशोधन 4. मूल नियमावली में स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 15 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्–

स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
विद्यमान नियम	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(1) (i) प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने की अनुमति के लिए आयोग विहित प्रपत्र में, आवेदन–पत्र मंगायेगा आवेदन–पत्र भुगतान कर आयोग के सचिव से प्राप्त किए जा सकेंगे।	(i) नियुक्ति प्राधिकारी रिक्त पदों को आगणित करते हुए भर्ती हेतु निर्धारित प्रपत्र पर अधियाचन, जिसमें उर्ध्व एवं क्षैतिज आरक्षण के सापेक्ष आरक्षित पदों की गणना की जायेगी, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग को उपलब्ध करायेंगे;
(ii) आयोग द्वारा जारी प्रवेश पत्र के बिना किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।	(ii) प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुज्ञा के लिए आयोग विहित प्रपत्र में आवेदन–पत्र मंगायेगा। आवेदन–पत्र निर्धारित शुल्क के भुगतान पर आयोग के सचिव से प्राप्त किये जा सकेंगे;
(iii) लिखित परीक्षा के परिणाम प्राप्त होने और उनके सारणीकरण के पश्चात् आयोग द्वारा नियम–6 के अधीन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडे वर्ग तथा अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर ऐसे अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जायेगा, जिन्होंने इस सम्बन्ध में आयोग द्वारा नियत मानक के अनुसार अंक प्राप्त किए हों। प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा साक्षात्कार में प्राप्त अंक उसके द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों में जोडे जायेंगे।	(iii) लिखित परीक्षा के परिणाम प्राप्त होने और सारणीबद्ध किये जाने के पश्चात् आयोग द्वारा नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर ऐसे अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जायेगा, जिन्होंने इस सम्बन्ध में आयोग द्वारा नियत मानकों के अनुसार अंक प्राप्त किये हों। प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा साक्षात्कार में प्राप्त अंक उसके द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों में जोड़े जायेंगे;
(iv) आयोग प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्राप्त कुल अंको द्वारा प्रकट प्रवीणता के क्रम में सूची बनायेगा और नियुक्ति के लिए उतने अभ्यर्थियों की संस्तुति करेगा, जिन्हें वह नियुक्ति के योग्य समझता है। यदि दो या उससे अधिक अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त कुल अंक बराबर हों तो लिखित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का नाम सूची में ऊपर रखा जाएगा। सूची में नाम रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु 25 प्रतिशत से अधिक नहीं) होगी। आयोग द्वारा सूची नियुक्ति प्राधिकारी को प्रेषित की जायेगी।	(iv) आयोग, प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्राप्त कुल अंकों द्वारा प्रकट प्रवीणता क्रम में एक सूची तैयार करेगा और उतने अभ्यर्थियों को, जितने व उचित समझे, नियुक्ति के लिए संस्तुत करेगा। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी कुल योग में बराबर–बराबर अंक प्राप्त करें तो लिखित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का नाम सूची में उच्चतर स्थान पर रखा जायेगा। आयोग द्वारा सूची नियुक्ति प्राधिकारी को प्रेषित की जाएगी।
टिप्पणी–प्रतियोगिता परीक्षा का पाठ्यक्रम और नियम आयोग द्वारा समय–समय पर विहित किये जायेंगे।	टिप्पणी–प्रतियोगिता परीक्षा का पाठ्यक्रम और नियम आयोग द्वारा समय–समय पर विहित किये जायेंगे।

(जहाँ भर्ती प्रतियोगिता से भिन्न माध्यम से की जानी है)

(2) (i) चयन के लिए विचार करने हेतु आयोग द्वारा विहित प्रपत्र में आवेदन मंगाये जायेंगे। आवेदन प्रपत्र भुगतान कर आयोग के सचिव से प्राप्त किये जा सकेंगे।

(ii) नियम 6 के अधीन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडे वर्ग तथा अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण का प्रतिशत सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए आयोग द्वारा अपेक्षित अर्हताएं पूरी करने वाले उतने अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जायेगा जितने वह उचित समझे।

(iii) आयोग प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों द्वारा प्रकटित प्रवीणता के क्रम में बनायेगा। यदि दो या उससे अधिक अभ्यर्थी बराबर अंक प्राप्त करते हैं तो आयोग द्वारा उनके नाम सेवा के लिए उनकी सामान्य उपयुक्तता के आधार पर उनके गुणानुक्रम के आधार पर क्रमांकित किये जायेंगे। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु 25 प्रतिशत से अधिक नहीं) होगी। आयोग सूची नियुक्ति प्राधिकारी को प्रेषित करेगा।

नियम 17 का संशोधन

5. मूल नियमावली में स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 17 के उपनियम (1) के खण्ड (ii) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्–

स्तम्भ–1 विद्यमान खण्ड	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड
(ii) संयुक्त निदेशक एवं उपनिदेशक के पदों पर पदोन्नति अनुपयुक्त के अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर चयन समिति के माध्यम से की जायेगी। चयन समिति निम्न प्रकार होगीः– (क) प्रमुख सचिव/सचिव समाज कल्याण उत्तराखण्ड शासन – अध्यक्ष	(ii) संयुक्त निदेशक एवं उप निदेशक तथा जिला जनजाति कल्याण अधिकारी के पदों पर पदोन्नति अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर चयन समिति के माध्यम से की जायेगी। चयन समिति निम्न प्रकार होगीः– (क) प्रमुख सचिव/सचिव, समाज कल्याण उत्तराखण्ड शासन – अध्यक्ष (ख) प्रमुख सचिव/सचिव, कार्मिक उत्तराखण्ड शासन या उनके द्वारा नामित एक अधिकारी जो संयुक्त

(ख) प्रमुख सचिव/सचिव कार्मिक सचिव स्तर से अन्यून हों – सदस्य
उत्तराखण्ड शासन या उनके द्वारा (ग) निदेशक, जनजाति कल्याण, विभाग उत्तराखण्ड
नामित एक अधिकारी जो संयुक्त –सदस्य
सचिव स्तर से अन्यून न हों –
सदस्य

(ग) निदेशक, जनजाति कल्याण
विभाग,उत्तराखण्ड

–सदस्य

परिशिष्ट 'क' का संशोधन

6. मूल नियमावली की परिशिष्ट 'क' को निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्–

परिशिष्ट–क

(कृपया नियम–4 (2) और 23 (2) देखिए)

उत्तराखण्ड जनजाति कल्याण विभाग में राजपत्रित अधिकारियों का वर्तमान वेतनमान

क्र. स.	पदनाम	पदों की संख्या	वेतनमान (रूपये में)	सातवें वेतनमान में लेवल
1.	अपर निदेशक	01	वेतनमान (123100–215900) ग्रेड वेतन 8700	13
2.	संयुक्त निदेशक	01	वेतनमान (78800–209200) ग्रेड वेतन 7,600	12
3.	उप निदेशक	02	वेतनमान (67700–208700) ग्रेड वेतन 6,600	11
4.	परियोजना अधिकारी	02	वेतनमान (56100–177500) ग्रेड वेतन 5,400	10
5.	प्रधानाचार्य	12	वेतनमान (56100–177500) ग्रेड वेतन 5,400	10
6.	समन्वयक	01	वेतनमान (56100–177500) ग्रेड वेतन 5,400	10
7..	जिला जनजाति कल्याण अधिकारी	04	वेतनमान (56100–177500) ग्रेड वेतन 5,400	10
8.	अधीक्षक	04	वेतनमान (35400–112400) ग्रेड वेतन 4,200	6

आज्ञा से,

डा0 श्रीधर बाबू अद्दांकी,
सचिव।

In pursuance of the provision of Clause (3) of Article 348 of **'the Constitution of India"**, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. **69/XVII-1/2025-2A(09)2007**, dated February 04, 2026.

No. 69/XVII-1/2025-2A(09)2007
Dated Dehradun, February 04, 2026

NOTIFICATION

Miscellaneous

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of "**the Constitution of India**", the Governor is pleased to make the following rules to amend the Uttarakhand Tribes Welfare Gazetted Officer Service Rules, 2019, namely :-

The Uttarakhand Tribes Welfare Gazetted Officer Services (Amendment) Rules, 2025

Short title and Commencement

1. (1) These Rules may be called the Uttarakhand Tribes Welfare Gazetted Officer Service (Amendment) Rules, 2025.

(2) It shall come into force at once.

Amendment of rule 5

2. In rule 5 of the Uttarakhand Tribes Welfare Gazetted Officer Service Rules, 2019 (hereinafter referred to as principal rules),-

(i) for existing sub-rule (3) as set out in column-1 shall be substituted by rule as set out in column-2, namely-

Column-1 **Existing sub-rule**	**Column-2** **Sub-rules as hereby substituted**
(3) Deputy Director	**(3) Deputy Director**
(a) 50 percent posts by promotion, on the basis of seniority, subject to the rejection of unfit from amongst substantively appointed such Project Officers who have completed 5 years service as such on the first day of the year of recruitment, through the Selection Committee. (b) 50 percent posts by promotion, on the basis of seniority, subject to the	(a) 50 percent by promotion from amongst such Project Officers and Coordinator and District Tribal Welfare Officers (whoever has been appointed first) on the basis of Joint seniority list, subject to the rejection of unfit who have completed 07 years service as such on the first day of the year of recruitment, through the Selection Committee. (b) 50 percent posts by

rejection of unfit from amongst substantively appointed such Principals (Government Hermitage Method School) of who have completed 10 years service as such on the first day of the year of recruitment, through Selection Committee.	promotion, on the basis of seniority, subject to the rejection of unfit from amongst such Principals (Government Hermitage Method School) who have completed 07 years service as such on the first day of the year of recruitment, through the Selection Committee.

(ii) after sub-rule (6), new sub-rule (7) and (8) shall be inserted as follows namely,-

(7) **Coordinator:-** 100 percent post through the Commission by the direct recruitment.

(8) **District Tribal Welfare Officer:-**

(a) 50 percent posts through the Commission by the direct recruitment;

(b) 25 percent posts by promotion, on the basis of seniority, subject to the rejection of unfit from amongst substantively appointed such Superintendents (Government Hermitage Method School) who have completed 15 years of service on the first day of the year of recruitment, through the Selection Committee;

(c) 25 percent posts by promotion, on the basis of seniority, subject to the rejection of unfit from amongst substantively appointed such Workshop Superintendents (Government Industrial Training Institute) who have completed 15 years of service on the first day of the year of recruitment, through the Selection Committee.

Amendment of rule 8

3. In principle rules for existing rule 8 as set out in column-1 the rule as set out in column-2, shall be substituted as follows namely-

Column-1 **Existing rule**		**Column-2** **Rule as hereby substituted**	
A candidate must have following qualifications for the direct recruitment to the post of various categories-		A candidate must have following qualifications for the direct recruitment to the post of various categories-	
Post	**Qualifications**	**Post**	**Qualifications**
Principal	(1) Post graduation degree holder	**Principal**	(1) Post graduation degree holder

	from any University established by law in India or such any institutions other than University which is recognized or declared as a University under the law. (2) B.Ed or L.T. (3) Minimum five years teaching experience in the Government High school or Government aided high school or Intermediate School.		from any University established by law in India or such any institutions other than University which is recognized or declared as a University under the law. (2) B.Ed or L.T.
Project Officer	Post graduation degree holder from any University established by law in India or such any institutions other than University which is recognized as a University under the law or declared. **Preferential qualification:-** (1) Post graduation degree in Humanities / Sociology. (2) Experience of Tribal work.	Project Officer	Post graduation degree holder from any University established by law in India or such any institutions other than University which is recognized as a University under the law or declared. **Preferential qualification:-** (1) Post graduation degree in Humanities / Sociology.

Coordinator	Graduation degree holder from any University established by law in India or such any institutions other than University which is recognized as a University under the law or declared. **Preferential qualification: -** (1) Post Graduation degree in Humanities / Sociology/Social Work.
District Tribal Welfare Officer	Graduation degree holder from any University established by law in India or such any institutions other than University which is recognized as a University under the law or declared. **Preferential qualification: -** (1) Post Graduation degree in Humanities / Sociology/Social Work.

Amendment of rule 15

4. In principle rules for existing rule 15 as set out in column-1 the rule as set out in column-2, shall be substituted as follows namely-

Column-1 Existing rule	Column-2 Rule as hereby substituted
(1) (i) Application for permission to appear in the competitive examination shall be called in the prescribed form by the Commission which may be obtained from the Secretary of the Commission on payment. (ii) No candidate shall be admitted to the examination unless he holds a admit card issued by the Commission. (iii) After the result of the written examination have been received and tabulated, the Commission shall, having regard to the need for securing due representation of the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Categories to the State of Uttarakhand under Rule 6, call for interview such number of candidates as, on the results of the written examination, have come up to the standard fixed by the Commission in this respect. The marks awarded to each candidate in the interview shall be added to the marks obtained by him in the written examination. (iv) The Commission shall prepare a list of candidates in order of their proficiency as disclosed by aggregate of the marks obtained by each	(i) The Appointment Authority shall determine and intimate to the Uttarakhand Public Service Commission on prescribed Requisition Letter which have the number of vacancies against Horizontal and Vertical Reservation; (ii) The Commission shall call for application in the prescribed form for permission to appear in the competitive examination. The application form may be obtained from the Secretary of the Commission on payment of the prescribed fee; (iii) On declaration of the result of the written examination and preparation of the merit list, candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Economically weaker section, and other reserved categories, as specified under Rule 6, shall be called for interview by the Commission in the prescribed proportion, on the basis of the marks obtained in the written examination. Candidates securing the qualifying marks prescribed by the Commission in this regard shall be eligible to appear in the interview. The marks obtained by a candidate in the interview shall be added to the marks obtained in the

candidate in the written examination and interview and recommend such number of candidates as they consider fit for appointment. If two or more candidates obtained equal marks in the aggregate, the name of the candidate obtaining higher marks in the written examination shall be placed higher in the list. The number of names in the list shall be more but (not more than 25 percent) than the number of vacancies. The Commission shall forward the list to the Appointing Authority.

Note- The syllabus and rules for the competitive examination shall be such as may be prescribed by the Commission from time to time.

(When recruitment is to be made other than Competition)

(2)(i) Application for consideration for selection shall be called by the Commission in the prescribed form, which may be obtained from the Secretary of Commission on payment.

(ii) The Commission, shall giving regard to the need for securing due representation of the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Other Categories in accordance with rule 6, call for interview such number of candidates, who fulfil the requisite qualification, as it consider proper.

written examination;

(iv) The Commission shall prepare a merit list on the basis of the aggregate marks obtained by each candidate in the written examination and interview, and shall recommend such number of candidates as it considers suitable for appointment. In the event of two or more candidates securing equal aggregate marks, the candidate securing higher marks in the written examination shall be placed higher in the merit list. The Commission shall forward the list of recommended candidates to the Appointing Authority.

Note- The syllabus and rules for the competitive examination shall be such as may be prescribed by the Commission from time to time.

(iii) The Commission shall prepare a list of candidates in order of their proficiency as disclosed by the marks obtained by each candidate in the interview. If two or more candidates obtain equal marks, the Commission shall arrange their names in order of merit on the basis of their general suitability for the service, the number of the names in the list shall be more (but not more than 25 percent) than the number of the vacancies. The Commission shall forward the list to the Appointing Authority.

Amendment of rule 17

5. In principle rules for existing clause (ii) of sub-rule (1) of rule 17 as set out in column-1 the rule as set out in column-2, shall be substituted as follows namely-

Column-1 Existing clause	Column-2 Clause as hereby substituted
(ii) Promotion on the posts of Joint Director and Deputy Director shall be made on basis of seniority subject to the rejection of unfit, through the selection committee. The selection committee shall be as follows :-	(ii) Promotion on the posts of Joint Director and Deputy Director and District Tribal Welfare Officer shall be made on basis of seniority subject to the rejection of unfit, through the selection committee. The selection committee shall be as follows :-
(a)Principal Secretary/ Secretary, Social Welfare Government of Uttarakhand - Chairman;	(a) Principal Secretary/ Secretary, Social Welfare Government of Uttarakhand - Chairman;
(b)Principal Secretary/ Secretary, Personnel Government of Uttrakhand or officer nominated by them, not below the rank of Joint Secretary - Member;	(b) Principal Secretary/ Secretary, Personnel Government of Uttrakhand or officer nominated by them, not below the rank of Joint Secretary - Member;
(c)Director, Tribes Welfare Department Uttrakhand -Member	(c) Director, Tribes Welfare Department Uttrakhand -Member.

Amendment of Annexure "A"

6. Annexure "A" of principle rules shall be substituted as follows, namely-

Annexure 'A'
{see rule 4(2) and 23(2)}

The Uttarakhand Tribes Welfare Department Gazetted Officer present pay scale

Sl.No.	Name of Post	Number of posts	Pay scale (in Rs.)	Level of 7th pay Scale
1.	Additional Director	01	Pay scale (123100-215900) grade pay 8700	Level 13
2.	Joint Director	01	Pay scale (78800-209200) grade pay 7600	Level 12
3.	Deputy Director	02	Pay scale (67700-208700) grade pay 6600	Level 11
4.	Project Officer	02	Pay scale (56100-177500) grade pay 5400	Level 10
5.	Principal	12	Pay scale (56100-177500) grade pay 5400	Level 10
6.	Coordinator	01	Pay scale (56100-177500) grade pay 5400	Level 10
7.	District Tribal Welfare Officer	04	Pay scale (56100-177500) grade pay 5400	Level 10
8.	Superintendent	04	Pay scale (35400-112400) grade pay 4200	Level 06

By Order,

DR. SRIDHAR BABU ADDANKI,
Secretary.

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 01 स0 क0/39–2026–100+100 प्रतिया (कम्प्यूटर/रीजियो)।